



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)




F.No.ADMN-11013/1/2022/1686-1705

Date: 24th March, 2022

OFFICE ORDER No. 94/2022

During the training period of Dr. R. N. Sankhua, Chief Engineer (South), NWDA, Hyderabad w.e.f. 18.04.2022 to 29.04.2022, Shri R. K. Jain, Chief Engineer (HQ), NWDA, New Delhi will look after the works of Chief Engineer (South), in addition to his own duties. No extra remuneration will be paid to him for holding the additional charge, till further orders.

This issues with the approval of Director General, NWDA.


24/3/22

(Rajesh Kumar)

Dy. Director (Admn.)

To,

1. Chief Engineer (North/South), NWDA, Lucknow, Hyderabad.
2. Chief Vigilance Officer, NWDA, Saket, New Delhi.
3. Director (Admn.)/(Tech.)/(Fin.)/(MDU), NWDA, Saket, New Delhi.
4. SE (S/N), NWDA, Palika Bhawan, New Delhi
5. Dr. R. N. Sankhua, Chief Engineer (South), NWDA, Hyderabad.
6. Shri R. K. Jain, Chief Engineer (HQ), NWDA, New Delhi.
7. All Superintending Engineers, NWDA.
8. Accounts Officer, NWDA, Saket, New Delhi.
9. Vigilance Section, NWDA, New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to Director General, NWDA, Saket, New Delhi.
2. PS to Chief Engineer (HQ), NWDA, Saket, New Delhi.





राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)




फा.सं.एडीएमएन-110131/20221

दिनांक: 24 मार्च, 2022

कार्यालय आदेश संख्या 94/2022

डॉ. आर.एन. संखुआ, मुख्यअभियंता (दक्षिण), राजविअ, हैदराबाद की प्रशिक्षण अवधि के दौरान 18.04.2022 से 29.04.2022 तक, श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ, नई दिल्ली अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के कार्यों को देखेंगे। उन्हें अतिरिक्त कार्य भार संभालने के लिए अगले आदेश तक कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

इसे महानिदेशक, राजविअ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


24/3/22
(राजेश कुमार)

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रति,

1. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), राजविअ, लखनऊ, हैदराबाद।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
3. निदेशक (प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(एमडीयू), राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
4. अधीक्षण अभियंता (द/द), राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली।
5. डॉ. आर एन संखुआ, मुख्य अभियंता (दक्षिण), राजविअ, हैदराबाद।
6. श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ, नई दिल्ली।
7. सभी अधीक्षण अभियंता, राजविअ।
8. लेखा अधिकारी, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
9. सतर्कता अनुभाग, राजविअ, नई दिल्ली।

प्रति सूचनार्थः

1. महानिदेशक, राजविअ, साकेत, नईदिल्ली के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ, साकेत, नई दिल्ली के निजी सचिव।